

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.1(5)खान/गुप-1/2022

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक(खान) के पद की वर्ष 2018-19 की विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक दिनांक 15.02.2024 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित अधीक्षण खनि अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति वर्ष के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त निदेशक(खान) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	पदरिक्ति दिनांक	वि.वि.
1.	श्री दीपक तंवर	अनारक्षित	2018-19	01.07.2018	वर्ष 2015-16 में स्वीकृत छाया पद का समायोजन।
2.	श्री बी.एस.सोढा	अनारक्षित	2018-19	01.07.2018	-

क्रम संख्या-2 पर अंकित अधिकारी पूर्व में ही पदोन्नत होकर कार्यरत है। अतः उक्त अधिकारीगण यथावत अपने कार्यस्थल पर पूर्व की भांति कार्यरत रहेंगे।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नीतू बारूपाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5787670

Document certified by NEETU
BARUPAL <nbarupal@gmail.com>.
Digitally Signed by Neetu Barupal
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :23-02-2024 05:44:30